संख्या-13/2020/132/26-3-2020-4(358)/07 टी.सी.-।।।

प्रेषक,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 23 जनवरी 2020

विषय:-**उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2019 के संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3534/स0क0/शिक्षा-अ/3/154/2019-20, दिनांक-19.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को वर्तमान में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत सम्मिलित अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क की एकमुश्त धनराशि वरीयता के आधार पर भुगतान किये जाने के स्थान पर धनराशि की उपलब्धता के आधार पर सर्वप्रथम शुल्क की धनराशि निर्धारित वरीयता क्रम में भुगतान किये जाने तदोपरांत धनराशि उपलब्ध होने पर अनुरक्षण भत्ते की धनराशि भुगतान किये जाने हेतु नियमावली में आवश्यक संशोधन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर सर्वप्रथम शुल्क की धनराशि निर्धारित वरीयता क्रम में भुगतान किया जाय। तदोपरांत धनराशि उपलब्ध होने पर अनुरक्षण भत्ते की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही निर्धारित वरीयतानुसार की जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-13 /2020/132(1)/26-3-2020 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि उप महानिदेशक/वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई), योजना भवन, उ0प्र0 लखनऊ को आवश्यक कर्यावाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in